

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स. 3(5)(4)स्था./अराजपत्रित/अभि./16/ 311-390

जयपुर, दिनांक : 05.03.19


आदेश

निम्न सहायक अभियोजन अधिकारीगण के स्थानान्तरण लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम स0अ0अ0	कहाँ से	कहाँ को	वि0वि0
1	श्रीमती नीतू जांगिड	न्या. ए.सी.जे.(जेडी)जे.एम. 1 बूंदी (स्थानान्तरणाधीन)	न्या. ए.सी.जे.(जेडी)जे.एम.19 जयपुर महानगर, प्रथम	श्री अग्रज जैन के स्थान पर
2	श्री अग्रज जैन	न्या. ए.सी.जे.(जेडी)जे.एम.19 जयपुर महानगर, प्रथम	न्या. ए.सी.जे.(जेडी)जे.एम. 1 बूंदी	श्रीमती जांगिड के स्थान पर


इस विभाग के आदेश क्रमांक स. 3(5)(4)स्था./अराजपत्रित/अभि./16/151-310 दिनांक 04.03.19 के द्वारा सुश्री अदिति शर्मा का सी.आई.डी. पुलिस मुख्यालय, जयपुर से न्या. ए.सी.जे.(जेडी)जे.एम. 1 बूंदी किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।

संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि), राजस्थान, जयपुर
4. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
5. संबंधित सहायक लोक अभियोजन, ~~राजस्थान~~ द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन
6. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर